र्थना–पत्र संख्या –41 / 2020
नांक –15.12.2020
दिनांक –04.04.2022
एमएस नं0 –2020 / 00083

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थी**

1. श्री सुशील कुमार गोयल पुत्र स्व. श्री कल्याण जी गोयल जाति अग्रवाल निवासी 61 / ए, ब्रह्मपुरी, अजमेर।
2. श्रीमती सरोज पत्नी श्री धर्मवीरसिंह जाति जाट निवासी घूघरा, अजमेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री ए0के0गौतम, अधि0, प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं0 216 में वर्किंग नामा0 सं0 830 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दुरूस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्[illegible] पेश किया गया। इस संबंध में [illegible] / कोर्ट / 2022 / 727 पैरोकार सरकार / तहसीलदार, पुष्कर द्वारा पत्र [illegible] जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन दिनांक 15.03.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर [illegible] किया कि "ग्राम गनाहेड़ा के साबिक खसरा नंबर 173[illegible] रकबा 00–08–10 बी[illegible] साबिक खसरा नंबर 1732 रकबा 00–09–00 बीघा जरिये नामा. सं0 830 दिनांक 25.11.2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:08:03 IST
Reason: SelfAttested

04.4.22.
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

...वास वगैरह समस्त खातेदारान से सुशील कुमार पुत्र कल्याण जी गोयल ... एवं श्रीमती सरोज पत्नी धर्मवीर सिंह कौम जाट सा. घूघरा के नाम नामा. उक्त नामा. सं. 830 दिनांक 25.11.2006 का इन्द्राज आधार जमाबंदी के खाता मे दर्ज हुआ। साबिक खसरा नंबर 1731, 1732 के हाल खसरा नंबर 1714 क्षेत्रफल अनुसार बने एवं आधार जमाबंदी के खाता सं0 291 में हाल खसरा नंबर ... मे सुशील कुमार पुत्र कल्याण गोयल जाति अग्रवाल सा. अजमेर हि. 7/14 एवं ... पत्नी धर्मवीर सिंह कौम जाट सा. घूघरा अजमेर हि. 7/64 दर्ज हुआ। आधार जमाबंदी के पश्चात् बनी नई चौसाला जमाबंदी के उक्त नामा0 सं0 830 का इन्द्राज सहवन से दर्ज होने से वंचित रह गया जिसे पुनः दर्ज किया जाना उचित है। हाल जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता सं0 216 के खसरा नंबर 1714 रकबा 0.64 में प्रार्थीगण खातेदारान का इन्द्राज शेष रहने से जमाबंदी के अन्य खातेदारान 1. कमलकिशोर पुत्र गोविंदराम जाति महाजन हि. 7783/34800 2. नरेन्द्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत हि. 7783/34800 3. रामरघुनाथ पुत्र मांगीलाल जाति प्रजापत हि. 7783/34800 के द्वारा स्वयं के हिस्से के भूखण्डों का विक्रय किया गया था। विक्रय के पश्चात् उक्त तीनों खातेदारान का हिस्सा स्वयं के हिस्से से ज्यादा दर्ज हो गया एवं प्रार्थीगणों का हिस्सा उक्त तीनों खातेदारान के हिस्से में जुड़कर दर्ज हो गया। अतः आधार जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थीगणों का हिस्सा एवं प्रभावित खातेदारान का हिस्सा दुरूस्ती कर निम्न अनुसार दर्ज किया जाना है

1. सुशील कुमार पुत्र कल्याण गोयल जाति अग्रवाल हि. 1270/11600
2. सरोज पत्नी धर्मवीर सिंह जाति जाट हि. 1270/11600
3. कमल किशोर पुत्र गोविंदराम जाति महाजन हि. 5243/34800
4. नरेंद्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत हि. 5243/34800
5. रामरघुनाथ पुत्र मांगीलाल जाति प्रजापत हि. 5243/34800

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व [illegible] के वर्तमान ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित [illegible] में प्रार्थीगण का जमाबन्दी के खाता सं0 216 के खसरा नंबर 1714 रकबा [illegible] प्रतीत होती है। नाम/हिस्सा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:08:03 IST
Reason: SelfAttested

04.4.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट ... सत्यमेव जयते

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131/136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं0 216 में प्रार्थीगण सुशील कुमार गोयल पुत्र कल्याण गोयल एवं सरोज पत्नी धर्मवीर सिंह जाति जाट का नाम दर्ज कर निम्नानुसार हिस्सा दुरूस्ती किया जावें–

1. सुशील कुमार पुत्र कल्याण गोयल जाति अग्रवाल हि. 1270 / 11600
2. सरोज पत्नी धर्मवीर सिंह जाति जाट हि. 1270 / 11600
3. कमल किशोर पुत्र गोविंदराम जाति महाजन हि. 5243 / 34800
4. नरेंद्रसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत हि. 5243 / 34800
5. रामरघुनाथ पुत्र मांगीलाल जाति प्रजापत हि. 5243 / 34800

शेष खातेदारान का हिस्सा यथावत् रखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:08:03 IST
Reason: SelfAttested

04.4.22

सुखाराम पिण्डेल
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)